सं0 247 /XXIV(1) /2016–05 / 2013

प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून: दिनांक: 22 मार्च 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(1)(C) के अन्तर्गत अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के प्रतिपूर्ति व्यय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–अर्थ–2 / 25721 / 5क (02)16 / 2017–18 दिनांक 09 जनवरी, 2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या 11 लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 24–शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति 42 अन्य व्यय प्राविधानित ₹380000 हजार अनुदान संख्या 30 में ₹10000 हजार एवं अनुदान संख्या 31 में ₹ 2000 हजार अर्थात कुल प्राविधानित ₹50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़ मात्र) संलग्नक–01 में उल्लिखित विवरणानुसार की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30–6–2017 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय में सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि से केवल अपवंचित वर्ग (2डी) श्रेणी के विद्यार्थियो की ही प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(3) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों / आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति / सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण / व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(6) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(7) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(8) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय। साथ अनुसूचित एवं जनजाति वर्ग के बच्चों की प्रतिपूर्ति 31–3–2018 से पूर्व कर ली जायें।

(10) Eligible छात्रों को ही इस योजना से लाभान्वित करने हेतु पारदर्शी बनाते हुए प्रतिवर्ष एक Certain Percentage छात्रों का सक्षम अधिकारी द्वारा random verification किया जायेगा तथा इसके परिणाम से वित्त विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।

03– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबंधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

04– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0 अशासकीय संख्या 241(म0)/XXVII(3)/2018 दिनांक 21–3–2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में प्रशासकीय विभाग के स्तर से ही जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव,

सं0 247 (i)/XXIV(1)/2018–05/2013 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
04. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)
06. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
07. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
08. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
09. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।